लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतमनगर भोपाल–462021
दूरभाष : 91–755–2583650,फेक्सः 2583651,ई–मेल dpividhya@gmail.com

क्रमांक / विद्या / डी / रो.से. / 01 / 2–2 / 2017–18 / 1455 भोपाल, दिनांक 14/5/2018

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः– मान. उच्च न्यायालय द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी कौंसिल की बैठक में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रदेश का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के संबंध में

संदर्भः–सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रमाक पुमु/ उमनि / पीटीआरआई / सेल–1 / 132–ए / 18 दिनांक 4.4.2018 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक– 1244 दिनांक 1.4.2018

कृप्या संदर्भित पत्र का अवलोकन करे सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है। संचालनालय द्वारा समय – समय पर स्कूल बसों के वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने एवं शालाओं में सड़क सुरक्षा के तहत स्लोगन एवं जागरूकता अभियान के संबंध में निर्देश देते हुये पालन प्रतिवेदन चाहा गया है, जो आपकी ओर से अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आगामी सत्र से हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं में सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रार्थना सभा में छात्र / छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दे। इस हेतु स्थानीय यातायात विभाग से सामग्री एवं सहयोग लिया जा सकता है।

शालाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं यातायात के नियमों के प्रति सजगता विकसित करने हेतु सड़क सुरक्षा के संबंध में एक अभियान चलायें, जिससे छात्र / छात्राओं में जागरूकता एवं सजगता विकसित हो सके। समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षाविषय को सम्मिलित करते हुये इस विषय से संबंधित वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन अनिवार्यता करें।

विद्यालयों में रोड सेफ्टी एजूकेशन की जागरूकता हेतु कक्षाओं एवं सूचना पटल पर स्लोगन लिखवाये जाये। माह में एकबार रोड सेफ्टी एजूकेशन के संबंध में विद्यार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाये, जिसमें ट्रेफिक से संबंधित अधिकारियों को विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाये, शैक्षणिक अभ्युत्थान योजना के अंतर्गत शिक्षकों को रोड सेफ्टी एजूकेशन हेतु प्रशिक्षण दिया जाये, इस कार्यक्रम को प्रत्येक संभाग स्तर पर आयोजित किया जाये। शासकीय / अशासकीय विद्यालयों के स्कूल बस अथवा वैन ड्राईवरों को रोड सेफ्टी एजूकेशन का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु व्यवस्था की जाये।

अतः उपरोक्त निर्देशों के पालन में प्रत्येक माह कितनी शालाओं में कौन– कौन से कार्यक्रम आयोजित किये गये इसका पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(डी.एस. कुशवाह)
अपर संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्रमांक / विद्या / डी / रो.से. ./ 01 / 2–2 / 2017–18 / 1456 भोपाल, दिनांक 14/5/2018

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

1-5-2018